तारीख 23/6/18

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व लोक अदालत झुंझुनूं

कार्यालय

23/6/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष
दायर की गई है जिस में प्रार्थी व अप्रार्थीगण
के मध्य कोई भी विवाद नहीं हुआ। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा
पेश प्रा० पत्र 31.12.15 को लिखित अनुबंध
पेश कर अप्रार्थीगण को मालवाई लिंक रोड से
पावड़ करने का निवेदन किया। न्यायालय के आदेश
दिनांक 31.12.15 के द्वारा अप्रार्थीगण को प्रा० पत्र
के प्रतीत अर्थ वाले आदेश को जबरदस्ती
बदोबस्त न करें व कब्जा कायम उपयोग उपभोग
के बाधा उत्पन्न न करें व मौजा स्थिति यथास्थिति
बनाये रखने के आदेश पारित किये जाकर प्रार्थी
का O39 R3 CPC की पालना करने का आदेश
दिया गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा O39 R3 CPC
की पालना नहीं की व अप्रार्थी की संपत्ति पुनः
कब्जा करने हेतु आदेशित करने पर पालना नहीं
की है, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा
पेश प्रा० पत्र अप्रार्थीगण को अनावश्यक परेशान
करने उद्देश्य से पेश किया गया है। उपरोक्त सभी
तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह अंतर्वर्ती निर्देशात्मक
आदेश आगे बढ़ाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता
है बल्कि प्रा० पत्र खारिज किया जाना उचित
प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र
आदम हाजरी आदम पैरवी से खारिज किया जाता
है। पत्रावली फाइल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के
क्रम से एक बार तकमीली कार्यवाही अमल हो।

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राजस्थान)

Scanned by CamScanner